

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व मोरा का खेड़ा
 भू अभिलेख निरीक्षक चित्तम्बा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार
 की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कुपाड पटवार हल्का मोरा का खेड़ा तहसील करेड़ा
 व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2024-2027 में खाता संख्या 136
 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद
 के आदेश दिये जाते हैं:-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
01	कुपाड	136	कनैराम पि. मकावेह	कनैराम, उपर कान सिंह पि. मैक सिंह

उपखण्ड अधिकारी
 करेड़ा जिला भीलवाड़ा

दिनांक :- 30/11/21

क्रमांक/न्यायालय/2021/01

प्रतिलिपि:-

- 1- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
- 2- प्रार्थी श्री

उपखण्ड अधिकारी
 करेड़ा जिला भीलवाड़ा

PP01/2021

2021/941